



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250753
CG-DL-E-19122023-250753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5144]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945

No. 5144]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5373(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात्, की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- टोल्यूइन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 के, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 22 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5436 (अ), तारीख 24 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 2727 (अ) तारीख 13 जून, 2022 और का.आ. 5990 (अ), तारीख 21 दिसंबर, 2022 और का.आ. 2730 (अ), तारीख 20 जून, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 19th December, 2023.

S.O. 5373(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Toluene (Quality Control) Order, 2021, namely: —

- (1) This order may be called the Toluene (Quality Control) Second Amendment Order, 2023.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Toluene (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —
“(2) It shall come into force on the 22nd day of December, 2024”.

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 5436(E), dated the 24th December.2021 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2727(E), dated the 13th June.2022, S.O. 5990(E), dated the 21st December.2022 and S.O. 2730(E), dated the 20th June, 2023.